न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 406 / 2025

दायर दिनांक 06.08.2025

उनवान

1. श्री रिखब देवजी मन्दिर स्थान गोराजी का निम्बाहेडा तहसील कपासन नावालिग जरिये वाद मित्र शान्तिलाल पिता दल्लीचन्द सावला (जैन) आयु वयस्क निवासी गोराजी का निम्बाहेडा कपासन उपाध्यक्ष व्यवस्थापक श्री रिखबदेवजी मन्दिर मण्डल मुर्ति पुजक संघ गोराजी का निम्बाहेडा तहसील कपासन।

—— वादी

बनाम

1. श्री चारभुजा स्थान देह गोराजी का निम्बाहेडा तहसील कपासन जरिये पुजारी श्यामलाल पिता सोहनलाल सेवक आयु वयस्क नि0 गोराजी का निम्बाहेडा तहसील कपासन।
2. तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

—— प्रतिवादीगण

—: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः 20.01.2026

—:निर्णयः—

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया गया कि मौजा निम्बाहेडा पटवार हल्का निम्बाहेडा तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में हाल आराजी नम्बर 449 रकबा 0.30 हैक्ट0, 450 रकबा 1.76 हैक्ट0, 451 रकबा 0.04 हैक्ट0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.10 हैक्ट0 स्थित है उक्त आराजी के सम्वत 2052 की पैमायश से पूर्व साबिक आराजी नम्बर 606 रकबा 5 बिघा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 607 रकबा 4 बिघा 13 बिस्वा था इससे पूर्व सम्वत् 2012 की पैमायश में आराजी नम्बर 340–342–343–332–341 थे। उक्त आराजीयात वादी के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज रेकार्ड थी। उक्त आराजीयात के साथ साथ अन्य आराजीयात भी थी जो चारभुजाजी स्थान देह के नाम पर है।

यह कि वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात तन्हा खातेदारी अधिकार की कब्जे की है। सेटलमेन्ट कर्मचारियों की गलती से जैर बहस आराजीयात वादी के नाम से हटा कर चारभुजा जी स्थान दे हके खाते में गलत दर्ज कर दी जो गलत है अतः यह घोषित कराया जाना आवश्यक है कि वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात तन्हा वादी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की है व वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड का इन्द्राज गलत है जो दुरूस्ती योग्य है।

यह कि जैरबहस आराजीयात पर वादी का कब्जा करीब 150 साल से अधिक समय से चला आ रहा है। सेटलमेन्ट कर्मचारियों की गलती से वादी के नाम से हटी जिसका कोई आधार नही था। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में उक्त जैर बहस आराजीयात चारभुजा स्थान देह के नाम गलत दर्ज कर दी जो दुरूस्ती योग्य है।

यह कि उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी जरिये पटवार हल्का दिनांक 01.03.2019 को हुई उसके बाद पुराना रेकार्ड की प्रतियां निकलाए। अतः बिनाय दावा पैदा हुई जिसकी शुरूआत दिनांक 01.03.2019 से होकर उसके बाद निरन्तर पैदा हो रही है।

अतः वादी की प्रार्थना है कि

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

वादी खिलाफ प्रतिवादीगण ईश्तकरार हक की डिक्री इस अमर की जारी फरमाई जावें कि की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात का वादी तन्हा खातेदार काश्तकार है व मौजुदा ल्यु रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम गलत दर्ज है जो दुरूस्ती कराई जाकर तन्हा वादी के ाम दर्ज कराई जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मी शंकर जाट का अधिकार पत्र प्रस्तुत जो शा0फा0 है। जवाब प्रस्तुत नही किये जाने से जवाब बन्द किया गया। साक्ष्यवादी में शान्तिलाल जैन निवासी गोराजी का निम्बाहेडा का शपथ पत्र प्रस्तुत। पत्रावली पर मेवाड सेटलमेन्ट की जमाबन्दी प्रदर्श–1, मिलान शीट प्रदर्श–2, जमाबन्दी संवंत् 2039–2042 प्रदर्श–3, खसरा प्रदर्श–4, बन्दोबस्त की नकल प्रदर्श–5, हाल जमाबन्दी प्रदर्श–6 है। जिरह वकील प्रतिवादी निल रही। तहसीलदार कपासन से मौका रिपोर्ट प्राप्त जो शा0फा0 है।

बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेजों, प्रस्तुत शपथ पत्र व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। की गई बहस पर मनन किया। मौका रिपोर्ट अवलोकन से जाहिर आया कि वादवर्णित आराजीयात कभी भी रिखबदेव जी मन्दिर के नाम पर नही रही है, तथा उक्त आराजीयात पर चारभुजा जी स्थान का कब्जा चला आ रहा है और वर्तमान में मन्दिर के पुजारी श्री बालुराम पारासर (सेवक) द्वारा तथा पूर्व में वर्तमान पुजारी के पूर्वजो द्वारा ही काश्त की जा रही थी जिसका अंकन गत राजस्व रेकार्ड की नकलो में है। साथ ही मेवाड सेटलमेन्ट से हाल रेकार्ड तक वादवर्णित आराजीयात में खातेदार के नाम की जगह श्री चारभुजा जी स्थान देह का नाम ही राजस्व रेकार्ड में अंकित रहा है। हमने संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि वादवर्णित आराजीयात हाल व साबिक राजस्व रेकार्ड में श्री चारभुजा जी स्थान देह के नाम ही दर्ज रेकार्ड रही है। वादी द्वारा वादपत्र की तायद मे कोई ठोस साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत नही किये है। वादी अपना वादपत्र सिद्ध कराने में असफल रहा। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0 सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(शान्तिलाल जैन)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन
सहायक कलक्टर
(फास्ट–ट्रेक) कपासन